

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग, जयपुर

क्रमांक प.3(7)पपा/2015/

जयपुर, दिनांक : 30/09/2021

आदेश

राजस्थान राज्य पशुपालन सेवा के निम्नांकित वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु चिकित्सा अधिकारी जो कि उनके नाम के सम्मुख अंकित इस विभाग के आदेश से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, की प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा समाप्त की जाती है :-

क्र.सं.	नाम	पद	विभागीय प्रतिनियुक्ति आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1.	डॉ. केदार कुमार वैष्णव	व.प.चि.अ.	प.3(7)पपा/2015/दिनांक 09.02.2018
2.	डॉ. जगदीश कुमार विश्णोई	प.चि.अ.	प.3(7)पपा/2015/दिनांक 04.02.2019
3.	डॉ. पूनमा राम	व.प.चि.अ.	प.3(7)पपा/2015/दिनांक 27.02.2019
4.	डॉ. तेजपाल राव	प.चि.अ.	पं.12(169)पपा/2009 दिनांक 27.02.2019
5.	डॉ. मुरलीधर मीणा	व.प.चि.अ.	पं.12(50)पपा/2005 दिनांक 08.07.2019
6.	डॉ. मूला राम जान्गू	व.प.चि.अ.	पं.12(100)पपा/2008 दिनांक 06.07.2019

उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आज ही पदस्थापन स्थान से बिना कार्यमुक्त हुए निदेशालय पशुपालन विभाग (पैतृक विभाग) में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें अन्यथा सीसीए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

आज्ञा से,

(डॉ.लक्ष्मी कान्त बालोत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशेषाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती विभाग, राज. जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राज, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राज जयपुर।
4. आयुक्त एवं शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती विभाग, राज. जयपुर।
5. निदेशक पशुपालन विभाग, राज. जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती विभाग, राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आज ही कार्यमुक्त कर निदेशालय, पशुपालन विभाग में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित करें।
7. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
8. निजी पंजिका/रक्षित पंजिका

संयुक्त शासन सचिव